राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :–2224 / 2023

विनोद कुमार मीणा

–अपीलार्थी

<u>बनाम</u>

1. प्रमुख शासन सचिव, वन, शासन सचिवालय, राजस्थान जयपुर।
2. राजस्थान राज्य जरिये प्रधान मुख्य संरक्षक / वन बल प्रमुख (एचओएफएफ), राजस्थान वन विभाग, राजस्थान सरकार, आर्य भवन, जयपुर।
3. प्रमुख मुख्य संरक्षक वन (प्रशासन), वन विभाग, झालाना डूंगरी, जयपुर।
4. वन संरक्षक, मुकुन्द्रा राष्ट्रीय उद्यान, रावत भाटा, कोटा।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 28.08.2023
आदेश की दिनांक : 23.02.2024

<u>उपस्थित –</u>
अपीलार्थी की ओर से : श्री दिगविजय सिंह, अधिवक्ता
प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : डॉ. पुष्पेन्द्र पाल सिंह, अति.राजकीय अधिवक्ता

समक्ष :– **अनन्त भण्डारी, सदस्य (न्यायिक)**
लेखराज तोसावड़ा, सदस्य

<u>आदेश</u>

1. अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता का यह कथन है कि प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 13.01.2023 (अनुलग्नक–2) द्वारा अपीलार्थी का स्थानान्तरण कार्यालय उप वन संरक्षक, मु.रा.उ., कोटा से रेंज शाहपुरा, उप वन संरक्षक, जयपुर उत्तर किया गया, परंतु अपीलार्थी को उक्त आदेश की पालना में कार्यमुक्त नहीं किया गया। इससे अपीलार्थी निराश हो गया। कार्मिक विभाग द्वारा समय–समय पर जारी परिपत्र के अनुसार यदि स्थानान्तरण कार्मिकों को कार्यमुक्त नहीं किया जाता है तो वह स्थानान्तरण आदेशों का उल्लंघन माना जायेगा, यदि प्रत्यर्थी विभाग द्वारा राज्य सरकार को स्थानान्तरण निरस्त करने के संबंध में कोई अनुरोध नहीं किया गया तथा कार्यालय अध्यक्ष द्वारा स्थानान्तरण आदेश की पालना न करके अपीलार्थी के साथ अन्याय किया गया है। अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार फरमाई जाकर प्रत्यर्थी विभाग को बुलाया जाकर निर्देश देवे कि अपीलार्थी का आदेश दिनांक 13.01.2023 द्वारा किये गये स्थानान्तरण पर अपीलार्थी को कार्यमुक्त करें।

2. प्रत्यर्थी विभाग के विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने अपील का पुरजोर विरोध करते हुए कथन किया कि अपीलार्थी का स्थानान्तरण रूटिन/नियमित स्थानान्तरण नहीं होकर उनके स्वयं के आवेदन पर किया गया स्थानान्तरण है इस कारण के अपीलार्थी के स्थान पर पदस्थापन हेतु एवजी कार्मिकों का पदस्थापन नहीं किया जा सका जिसके संबंध में प्रत्यर्थी संख्या 4 द्वारा प्रत्यर्थी संख्या 1 को जरिये विभागीय पत्राचार अवगत करवाया गया है एवं शीघ्र ही अपीलार्थी के स्थान पर एवजी कार्मिकों के पदस्थापन आदेश जारी हो जाने एवं उनके द्वारा पदभार ग्रहण कर लिये जाने के पश्चात् अपीलार्थी को प्रत्यर्थी संख्या 4 भारमुक्त करने हेतु प्रतिबद्ध है। यह कि प्रत्यर्थी संख्या 4 के डिवीजन के वन क्षेत्र में एक नर एवं एक मादा टाईगर खुले वन क्षेत्र में विचरण कर रहें थे, जिनमें से एक मादा टाईगर की मृत्यु हो जाने के उपरान्त रणथम्भौर टाईगर रिजर्व से एक बाघिन को इस टाईगर रिजर्व में शिफ्ट किया गया है। एक अन्य बाघिन ट्रांसलोकेशन करने की प्रक्रिया विचाराधीन है। वर्तमान में 02 बाघों की मॉनिटरिंग हेतु 24*7 तीन—तीन टीम गठित की हुई है, जिसमें वनकर्मी (वन संरक्षक, सहायक वनपाल व वनपाल) सम्मिलित है। नये बाघिन के ट्रांसलोकेशन के बाद तीनों बाघो की मॉनिटरिंग करने के लिये तीन—तीन अतिरिक्त टीमों का गठन किया जायेगा। तत्पश्चात् कुल 12 फिल्ड स्टॉफ की टाईगर मॉनिटरिंग में जरूरत होगी। स्टॉफ की वर्तमान में कमी एवं अन्डर ट्रांसफर की स्थिति में टाईग्रेस की मॉनिटरिंग में कठिनाई उत्पन्न होगी। वन्य क्षेत्र में कार्मिकों की कमी से उक्त दोनों टाईगर की मॉनिटरिंग किया जाना संभव नहीं हो पायेगा एवं टाईगर विचरण करते हुए रिहायशी क्षेत्र में जाने की पूर्ण सम्भावना होने से जनहानि होने की भी पूर्ण संभावना रहती है इसलिये अपीलार्थी के स्थान पर रिलिवर नहीं आने तक जनहित में अपीलार्थी को भारमुक्त किया जाना संभव नहीं हो पाया है। उक्त वन्यजीवों की सुरक्षा हेतु विकास कार्यो जैसे पक्की दीवार निर्माण कार्य, ग्रासलैण्ड डवलपमेंट, पिन्च पीरियड में पानी की व्यवस्था, फायर लाईन एवं वन मार्ग संधारण कार्यों, खपतवार उन्मूलन कार्यो, पर्यटन गतिविधियां आदि अनेक कार्य गुणपत्तापूर्ण एवं समयबद्ध तरीके से कराये जाने है। प्रत्यर्थी संख्या 4 द्वारा प्रत्यर्थी संख्या 1 को जरिये विभागीय पत्राचार दिनांक 17.10.2022, 14.10.2022, 31.10.2022, 02.01.2023, 17.01.2023, 22.02.2023, 01.03.2023, 05.05.2023, 07.07.2023 एवं 02.08.2023 द्वारा अवगत करवाकर अपीलार्थी एवं अन्य स्थानान्तरित कार्मिकों के स्थान पर किसी अन्य वनमण्डल

से एवजी कार्मिक का स्थानान्तरण करने का निवेदन किया है। इस प्रकार स्टॉफ की इतनी कमी होने पर उक्त कार्यो की गुणवत्ता, उनके समय पर पूर्ण होने, वनों की सुरक्षा, टाईगर की मॉनिटरिंग, वन्य जीवों का हैबिटाट एवं पूर टाईगर रिजर्व पर विपरीत प्रभाव पडेगा, इसलिये अपीलार्थी को भारमुक्त नहीं किया गया है।

3. हमने उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी तथा पत्रावली पर उपलब्ध तमाम अभिलेख का अनुशीलन कर मनन किया।

4. उक्त प्रकरण के तथ्यों, अभिलेख एवं अभिवचनों से यह प्रकट होता है कि अपीलार्थी का स्थानान्तरण रूटिन/नियमित स्थानान्तरण नहीं होकर उनके स्वयं के आवेदन पर किया गया स्थानान्तरण है। प्रत्यर्थी संख्या 4 के डिवीजन के वन क्षेत्र में एक नर एवं एक मादा टाईगर खुले वन क्षेत्र में विचरण कर रहें थे, जिनमें से एक मादा टाईगर की मृत्यु हो जाने के उपरान्त रणथम्भौर टाईगर रिजर्व से एक बाघिन को इस टाईगर रिजर्व में शिफ्ट किया गया है। एक अन्य बाघिन ट्रांसलोकेशन करने की प्रक्रिया विचाराधीन है। वर्तमान में 02 बाघों की मॉनिटरिंग हेतु 24*7 तीन—तीन टीम गठित की हुई है, जिसमें वनकर्मी (वन संरक्षक, सहायक वनपाल व वनपाल) सम्मिलित है। नये बाघिन के ट्रांसलोकेशन के बाद तीनों बाघो की मॉनिटरिंग करने के लिये तीन—तीन अतिरिक्त टीमों का गठन किया जायेगा। तत्पश्चात् कुल 12 फिल्ड स्टॉफ की टाईगर मॉनिटरिंग में जरूरत होगी। स्टॉफ की वर्तमान में कमी एवं अन्डर ट्रांसफर की स्थिति में टाईग्रेस की मॉनिटरिंग में कठिनाई उत्पन्न होगी। वन्य क्षेत्र में कार्मिकों की कमी से उक्त दोनों टाईगर की मॉनिटरिंग किया जाना संभव नहीं हो पायेगा एवं टाईगर विचरण करते हुए रिहायशी क्षेत्र में जाने की पूर्ण सम्भावना होने से जनहानि होने की भी पूर्ण संभावना रहती है, इस कारण के अपीलार्थी के स्थान पर पदस्थापन हेतु एवजी कार्मिकों का पदस्थापन नहीं किया जाने पर प्रत्यर्थी संख्या 4 द्वारा प्रत्यर्थी संख्या 1 को जरिये विभागीय पत्राचार अवगत करवाया गया है एवं शीघ्र ही अपीलार्थी के स्थान पर एवजी कार्मिकों के पदस्थापन आदेश जारी हो जाने एवं उनके द्वारा पदभार ग्रहण कर लिये जाने के पश्चात् अपीलार्थी को प्रत्यर्थी संख्या 4 को कार्यमुक्त करने हेतु प्रतिबद्ध है। इसलिये अपीलार्थी के स्थान पर रिलिवर नहीं आने तक जनहित में अपीलार्थी को कार्यमुक्त नहीं किया गया। अपीलार्थी के अधिवक्ता ने बहस के दौरान प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 27.12.2023 द्वारा मुकन्दरा राष्ट्रीय उद्यान कोटा में 37 वन

संरक्षकों की नियुक्ति की जा चुकी है, यह आदेश प्रस्तुत कर प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 13.01.2023 की अनुपालना में अपीलार्थी को कार्यमुक्त करने का निवेदन किया गया। समस्त तथ्यों व परिस्थितियों को देखते हुए यह अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाकर प्रत्यर्थी विभाग को निर्देश दिए जाते है कि अपीलार्थी को आदेश दिनांक 13.01.2023 की अनुपालना में नियमानुसार कार्यमुक्त करने की कार्यवाही करें।

5. आदेश आज दिनांक 23.02.2024 को हमारे द्वारा लिखाया जाकर मुद्रांकित एवं हस्ताक्षरित कर उद्घोषित किया गया।

(लेखराज तोसावड़ा)
सदस्य

(अनन्त भण्डारी)
सदस्य (न्यायिक)